प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **79/2023** (अपील सूचना का अधिकार)

मोतीलाल शर्मा पताः उपस्वास्थ्य केन्द्र के पास, गांव–पीलादर, तहसील–सराड़ा, उदयपुर

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सराड़ा, जिला–सलूम्बर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/08/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/79/23/1027–28 दिनांक 02.08.2023 से लिखा गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/सू.का.अ./2023/2005 दिनांक 24.08.2023 से कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु कुल 3 आवेदन प्रस्तुत किये थे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुये। प्रार्थी को तीनों प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 226, 227 एवं 228 दिनांक 11.08.2023 के जरीये डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। प्रार्थी को सूचना उचित समयावधि में भेजी जा चुकी है। अतः प्रार्थी द्वारा की गई प्रथम अपील को निरस्त कराने की कृपा करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सराड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही जा रही है वह जरिये पत्र क्रमांक 226, 227 एवं 228 दिनांक 11.08.2023 के जरीये डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सराड़ा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर